

नगर विकास विभाग, नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर ।
[जयपुर विकास प्राधिकरण कक्षा]

क्र. सं. : 303/88 वि. / 91

दिनांक : 12-6-91



जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कर्तव्य के निर्वाह में
विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम मानसुह देवरी जं.
नौत्यावास सहित सांगानेर पृथ्वीरज नगर व जेजना हेतु
भूमि अधिपत का अधिपत प्राप्त करने का काम ;

मुख्य सं. नम्बर :- 303/88

:- उपा वार्ड :-

उपरोक्त विद्यमान भूमि को अधिपत हेतु राज्य सरकार के
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्रीय भूमि अधि-
नियम 1994/1904 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-11 की धारा-4 के तहत अधिपत
व-6/15 न वि आ/11/87 दिनांक 8.1.88 तथा जिला राजस्थान राज्य में
दिनांक 7.7.88 को प्रकाश कराया गया ।

भूमि अधिपत अधिकारी द्वारा उप की रिपोर्ट राज्य सरकार को
भेजने के उपरान्त नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा भूमि अधिपत
अधिनियम की धारा-6 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा-6 का गण्ट प्रकाशन पत्र अधिपत
व-6/15 न वि आ/3/87 दिनांक 28.7.1989 का प्रकाशन राजस्थान राज्य के
भाग -6/15 में दिनांक 31.7.89 को हुआ ।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा को
धारा-6 का गण्ट प्रकाशन कराया गया, उसके ग्राम मानसुह देवरी जं नौत्यावास
सहित सांगानेर में अधिपतीय भूमि की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	मुख्य सं. नं०	खाने	अधिपतीय भूमि का रकबा की. वि.	आवेदक/जि. वार्ड का नाम
1.	303/88	385	19-11	प्रमुख्याल पुत्र जगनाथ वाति ब्राह्मण निवा
		386	04-00	दासीवाला व श्री माधोपुर, रामजीवाल पुत्रवासी, सात वा. आठ वर्तमान निवासी
			23-11	सात की सात की सात, जयपुर

श्री तत्पदेव शर्मा अधिमायक ने दिनांक 6.6.91 को कालेदार रामजीलाल की तरफ से कलेम पेश किया है उसमें पुराणी का हिस्सा 1/2 अंश किया है। कलेम में अवाप्तिधीन भूमि की कीमत 4,50,000/- रुपये प्रति बीघा है विहाय से मुआवजे की मांग की है। बाजार दर के बारे में कलेम में कुछ आधार अंशित किये हैं लेकिन बाजार दर के तहत में कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये हैं। मकानों की क्षति पूर्ति राशि 8,00,000/- रुपये भूमि पर बने हुए उनमें बोरिंग बिजली के पम्प ठंडकी ठ पार्श्व लाइन केबिन आदि की कीमत 51,525/- रु पानी देने के लिए तीमेंट पार्श्व लाइन परकी नालियाँ कच्चे घोर होदियाँ आदि की क्षति पूर्ति राशि 26,750/- रु पेड़ बोधों की क्षति पूर्ति राशि 30,500/- रुपये की मांग की है इस प्रकार पुराणी के परक मकानों को अवाप्ति किया जाते हैं तो परिवार तहत बसाने के लिए 500 वर्ग गज के 4 प्लॉट दिये जायें। डेरी व्यवसाय हेतु 15,00 वर्ग गज भूमि बिना मूल्य आकलित की जाये। इसके अतिरिक्त पुराणी का इस स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। जिसमें जाने वाले बर्तों के लिए 20 प्रतिशत राशि एवं अनिवार्य अवाप्ति प्रतिकार के लिए 30 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत लिफ्टींग चार्ज इसक अतिरिक्त 18 प्रतिशत देय राशि पर वार्षिक व्याज जिस दिन से धारा 4 व 5 की विडती प्रकलित की गई। दिया जाये। इस प्रकार कुल मुआवजा राशि 1,16,76,137/- रु की मांग की है।

उक्त कलेम में जो राशि की मांग की है। उसके तहत में कोई दस्तावेज आदि पेश नहीं किये हैं। और ना ही रजिस्टर्ड वेलुवर से प्रमाणित तकमीनी पेश किये हैं। अधिमायक श्री को पी० मिश्रा ने प्रस्तुत कलेम के विरुद्ध दलील दी है कि बिना किसी ठोस दस्तावेज के इसप्रकार क कलेम में मांग की गई राशि का कोई आधिक्य नहीं है। कलेम में जो मु-कॉर्ड की मांग की गई है। इससे पुष्पीराज नगर योजना पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हम इस कथन से सहमत हैं कलेम जो अधिक राशि की मांग की है। यह अस्वीकार है।

दिनांक 12.6.91 को श्री तत्पदेव शर्मा अधिमायक ने एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज पेश करने का समय चाहा। प्राधिकरण के अधिमायक श्री को पी० मिश्रा का कथन है कि अवाई पारित करने में दो वर्ष की समय अवधि नियत है पूर्व में कुछ इन्हें कलेम हेतु अनेक अवसर दिये गये हैं। अब अवाई से अनायासक विलम्ब करना चाहते हैं। अतः आगे आर समय नहीं दिया जाये। हम इस कथन से सहमत हैं अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

दिनांक 12.6.91 को ही एक प्रार्थना पत्र श्री तत्पदेव शर्मा अधिमायक ने प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्राधिकरण अधिमायक कलेम का लिखित में उत्तर नहीं दिया है। अतः प्राधिकरण के अधिमायक को बाध्य किया जाये कि वे कलेम का लिखित उत्तर दें। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कलेम का लिखित में उत्तर देने हेतु प्राधिकरण अधिमायक को बाध्य किया जाये। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

कन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 [1] के अन्तर्गत उपरोक्त मुकदमों में तार्यजनिक नोटिस श्री दिनांक 29.4.91 को जारी किया गया जो तामिल कुनिन्दा द्वारा सम्बन्धित तहसील, पंचायत समिति, नोटिस बोर्ड, ग्राम पंचायत, व सरपंच को दिये गये व चल्पा कराया गया।

मुआवजा निर्धारण :-

जहाँ तक पुष्पीराज नगर योजना में मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है नगरीय विकास एवं आवाहन विभाग के आदेश क्रमांक प-6/15/नविआ/87 दिनांक 1.1.89 द्वारा मुआवजा निर्धारण के लिये राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन ज्ञान तथ्य, राजस्व विभाग की अध्यक्षता में किया गया था लेकिन उक्त कमेटी द्वारा पुष्पीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में से कितनी भी ग्राम के मुआवजा राशि का निर्धारण नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 353-355 दिनांक 11.2.91 द्वारा ज्ञान तथ्य, नगरीय विकास एवं आवाहन विभाग तथा जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त, एवं तथ्य, जयपुर विकास प्राधिकरण का भी निवेदन किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी से मुआवजा निर्धारण करने की प्रक्रिया सीधे पूर्ण कराली जावे। इसके उपरान्त समय समय पर आयाजित मिटिंग्स में भी मुआवजा निर्धारण के लिये निवेदन किया गया लेकिन कमेटी द्वारा कोई मुआवजा निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है।

इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पुष्पीराज नगर योजना की 22 ग्रामों में स्थित भूमि के कितनी भी धातेदार का मुलाकात नैगोशियेशन नहीं किया गया है।

विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा समय समय पर जो निर्णय कृषि भूमि के मुआवजा निर्धारण के बारे में प्रतिपादित किये हैं उनमें कृषि भूमि की मुआवजा निर्धारण का तरीका धारा-4 के गवट नोटिफिकेशन वर्ड, 88 को हुआ था [7.7.88] इसलिये विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में 7 जुलाई, 1988 को विभिन्न उप-पंजीयकों के यहाँ पुष्पीराज नगर योजना के क्षेत्र में भूमियों के रजिस्ट्रेशन की दर क्या थी उस पर विचार करने के अतिरिक्त और कोई कल्प नहीं है।

प्रमुदपात पुत्र अन्ननाथ के अतिरिक्त मुकदमें में खारा नम्बरों की भूमि के मुआवजा की भी भूमि धातेदार द्वारा की गई है कि सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण के अस्मिताक भी 80 पी० एम्ब्रा का कथन है बलेम में उक्त मुआवजा की भूमि की गई है यह बहुत अधिक है। धातेदारान/हितदारान ने भूमि की बाजार दर की पुब्लिट में कोई ठान अथवा भी प्रस्तुत नहीं किये हैं। पूर्व में भी इस न्यायालय द्वारा इस क्षेत्र के आस-पास की भूमियों का मुआवजा 24,000/- ₹० प्रति बीघा की दर से निर्धारित किया गया है। अतः उक्त मामलों में 24,000/- ₹० प्रति बीघा की दर से मुआवजा निर्धारण किया जाना उचित होगा।

लेकिन नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के अनुसार इन सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण जिसके लिए भूमि अवाप्ति की जा रही है का भी पक्ष धात किया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण के तथ्य, न पत्र क्र.टी.डी.आर./91/336 दिनांक 3.6.91 द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किया कि धारा -4 के नोटिफिकेशन के समय ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावात में 15,300/- ₹० प्रति बीघा की दर से पंजीयन हुआ था इसलिए जहाँ तक उनके पक्ष का सम्बन्ध है यह दर उचित है।

हमने इस सम्बन्ध में उप-पंजीयक एवं तहसीलदार, त्तिगानेर के यहाँ भी अपन स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की तो धात हुआ कि धारा-4 के गवट नोटिफिकेशन के समय भूमि की दर इतने अधिक नहीं थी। तहसीलदार जयपुरा प्रथम न अपने यु.आ.नाट दिनांक 8.5.91 द्वारा उप-पंजीयक त्तिगानेर के यहाँ भी धारा-4 के गवट नोटिफिकेशन के समय ही जमीन की विक्रय दर यही बताई है।

लेकिन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र की आस-पास की भूमि की मुआवजा राशि 24,000/-रु० प्रति बीघा की दर से अर्वाइज जारी किये गये एवं विकास अनुमोदन राज्य सरकार से प्राप्त हो चुका है। जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभावक की 80 पी० गिन्टा ने कोई लिखित सूँ उत्तर नहीं देकर मौखिक रूप से यह निवेदन किया है कि मुआवजा राशि 24,000/-रु० प्रति बीघा की दर से तय की जाती है तो जयपुरा को कोई आपरिज नहीं होगी। क्योंकि कुछ समय पूर्व इसी न्यायालय द्वारा इस भूमि के आस-पास के क्षेत्र में 24,000/-रु० प्रति बीघा की दर से अर्वाइज पारित किये गये हैं।

अतः इस मामले में भी इस भूमि की मुआवजा राशि 24,000/-रु० प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित मानते हैं एवं हम यह भी मानते हैं कि धारा -4 के नजद नोटिफिकेशन के समय भूमि की कीमत यही थी।

केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत अर्वाइज पारित करने के लिए दो वर्ष की समयबाधि निर्यात है। लेकिन खातेदारान/हितदारान का धारा 9 व 10 के नोटिफ तामिन कुनिन्दा एक्टिडूट र.डी. के बाद भी प्रमुख्यात पुन काननाथ उपस्थित नहीं होना व जलम पैसा नहीं करना। इस बात का पीत क ह कि वे अपना कोई पहा प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं इसलिए हमारे विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जहाँ तक पेड़-पौधे, लकड़, कुछ एवं भूमि पर स्थित स्टैक्चर का प्रश्न है खातेदारान द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित तकनीन पैसा नहीं किय गये हैं। ऐसी स्थिति में स्टैक्चर। यदि काई हो। क मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा रहा है। इसका निर्धारण बाद में जयपुरा से तकनीकी अनुमोदित तकनीन प्राप्त होने पर नियमानुसार निर्धारण किया जावेगा।

हम इस भूमि के मुआवजे का निर्धारण ता 24,000/-रु० प्रति बीघा की दर से करते हैं लेकिन मुआवजे का मुक्ता विधिक रूप से मानिकाना हक सम्बन्धी इस्तावेजात पैसा करने पर ही किया जावेगा। मुआवजे का निर्धारण परिशिष्ठ "र" के अनुसार जो इस अर्वाइज का भाग है के अनुसार निर्धारित किया गया है।

केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 29 [1-र] एवं 23[2] के अन्तर्गत मुआवजे की उपरास्त राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत तालेशियम एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि भी देय होगी। विकास निर्धारण परिशिष्ठ "र" मुआवजे की राशि के साथ दशाया गया है।

अतिरिक्त निर्देशक [पुष्प] एवं तहसिल अधिकारी नगर ममि एवं म्मन कर विभाग के अपने पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31.5.91 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि पुष्पीराज नगर घोखना के समस्त 22 ग्राम जयपुर नगर संकुन तीमा में सम्मिलित है एवं अलसर अधिनियम से प्रभावित हैं। लेकिन उन्होंने य सूचना नहीं दी है कि अलसर अधिनियम 1976 की धारा 10 [3] की अधिसूचना प्रकाशित करवा दी अथवा नहीं ऐसी स्थिति में अर्वाइज केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत पारित किय जा रहे हैं।

यह अर्वाइज आज दिनांक 12.6.91 का पारित कर राज्य सरकार का अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है।

संलग्न: परिशिष्ठ "र"
गणना तालिका

Handwritten signatures and stamps including:
- A signature at the top right.
- A stamp: "भूमि अधिग्रहण अधिकारी, नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर" (Land Acquisition Officer, City Development Projects, Jaipur).
- A signature at the bottom left.
- A signature at the bottom right.

परिशिष्ट "द" गणना तात्काली ग्राम मानपुर देवरी उप-मंडलाधीन तहसील तृनिनर, जयपुर

क्र.सं.	सूचना सं०	नाम जालेदारान/ललतदारान	खसरा सं०	अवाप्तलधीन भूमल अर रकमा घी. वल.	सुआकवा दर	सुआकवा राशल	तीलेशलसुम 30%	अतलरलक्त 12%	कुलसुोन
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	500/88	प्रसुदुवाल सु. कुमनलध अलतल सुरलसुत नलवलती अलषीवलतल अ श्री अघुीसुदुर रलसुधीलतल सु. अलतीलतल अल.अल.अलतुमलन नलवलती ललत वी वलठ अर रलतल	385 386 -----	10-11 4-00 ----- 29-11		2,40,000/- 5,65,200/-	1,69,560/-	1,98,950/-	9,33,710/-

नलत:- 1. तीलेशलसुम 30 प्रतलशत अलतल नलसुवर 8 अर सुआकवा रलशल अर दलवल अदल हे ।
2. अतलरलक्त रलशल 12 प्रतलशत प्रतल वरुषे अी गणनल अलरल -4% अर गलकट दलनलक 7.7.88 ते 12.6.91 तक दी गई हे ।



मुनल अवाप्तल अलसुवारी
 नलर अरलसुीकलतलर, अलसुुर
 [Handwritten signatures and initials]